झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति" (State Level Sanctioning & Monitoring Committee) हेतु दिनांक 18.08.2017 को आहूत छठी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— संलग्न।

कार्यवाहीः—

सर्वप्रथम मुख्य सचिव—सह—अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

प्रधान सचिव द्वारा विषय प्रवेश कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी गयी। तत्पश्चात् सदस्यगण द्वारा बैठक की कार्यावली पर विस्तार से बिन्दुवार विमर्श किया गया।

विस्तृत विचार—विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न वर्णित निर्णय लिए गएः

1. **गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गयी।**
2. **गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर समिति के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया (परिशिष्ट क)**
3. **प्रधान मंत्री आवास योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत स्वीकृति।**

3.1 तृतीय घटक

3.1.1 देवघर में कुष्ठ रोगियों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु "कालीरेखा मातृ आश्रम" में निर्मित किए जाने वाले 64 आवासों (G+1 Model) के लिए तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत वि० स्वीकृत्यादेश सं०—356 दिनांकः 08.03.2017 द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई है।

उक्त परियोजना के सभी लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप पात्रता रखते हैं। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" अंतर्गत "कालीरेखा मातृ आश्रम" की परियोजना पर भारत सरकार की अनुदान राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त परियोजना पर राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) का अनुमोदन दिया गया है। योजना की कुल प्राक्कलित राशि रु० 6,06,69,675/—(छः करोड़ छः लाख उनहत्तर हजार छः सौ पचहत्तर रूपये मात्र) है।

उक्त परियोजना कुष्ठ रोगियों के लिए है, अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थी से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा। परियोजना में केन्द्रीय सहायता राशि रू० 1.5 लाख प्रति आवास के बाद बची हुई शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कुल राशि विवरणी निम्नवत् है :—

केन्द्रांश	:	रु० 96.00 लाख
राज्यांश	:	रु० 510.70 लाख
लाभुक अंशदान	:	रु० 000.00 लाख
कुल	:	**रु० 606.70 लाख**

3.1.2 जमशेदपुर में कुष्ठ रोगियों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु "नवजीवन आश्रम" में निर्मित किए जाने वाले 400 आवासों (G+3 Model) के लिए तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति उपरांत स्वीकृत्यादेश सं०– 224 दिनांकः 20.12.2016 निर्गत किया गया है।

उक्त परियोजना के सभी लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप पात्रता रखते हैं। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" अंतर्गत "नवजीवन आश्रम" की परियोजना पर भारत सरकार की अनुदान राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त परियोजना पर राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) का अनुमोदन दिया गया है। योजना की कुल प्राक्कलित राशि रु० 30,67,20,015/–(तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार पंद्रह रूपये मात्र) है।

उक्त परियोजना कुष्ठ रोगियों के लिए है, अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थी से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा। परियोजना में केन्द्रीय सहायता राशि रू० 1.5 लाख प्रति आवास के बाद बची हुई शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कुल राशि विवरणी निम्नवत् है :–

केन्द्रांश	:	रु० 0600.00 लाख
राज्यांश	:	रु० 2467.20 लाख
लाभुक अंशदान	:	रु० 0000.00 लाख
कुल	:	**रु० 3067.20 लाख**

3.1.3 केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना "सबके लिए आवास –2022" अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में Hybrid Annuity Model के आधार पर लोक निजी भागीदारी के अन्तर्गत तृतीय घटक के अनतर्गत 40 हजार आवासों के निर्माण हेतु संकल्प संख्या 3866 दिनांक 16.06.2017 निर्गत की गई है। कंडिका 3.1.1 एवं 3.1.2 में वर्णित परियोजनाओं पर उपरोक्त संकल्प के लाभुक अंशदान का प्रावधान लागू नहीं होगा।

3.2. चतुर्थ घटक

मिशन के चतुर्थ घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (Vertical IV) हेतु राज्य के 36 शहरी स्थानीय निकायों के 13,553 एकल आवास निर्माण हेतु निकायवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन दिया गया।

उक्त के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि निम्नवत् हैः–

No. of Dwelling Units	:	13,553 Units
Central Assistance	:	Rs. 20329.50 Lakh
State Share	:	Rs. 10164.75 Lakh
Beneficiary Share	:	Rs. 18581.16 Lakh
Total	:	Rs. 49075.41 Lakh

अतः लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7C) पर वांछित सूचना के साथ–साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) भारत सरकार (CSMC) को उपलब्ध कराए जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

4. **चतुर्थ घटक (BLC) की योजनाओं की गुणवत्ता जाँच हेतु नामित तृतीय पक्षीय गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (TPQMA) के प्रतिवेदन के विरूद्ध तैयार Action Taken Report का अनुमोदन।**

मिशन के चतुर्थ घटक– Beneficiary Led Construction की योजनाओं की गुणवत्ता जाँच हेतु त्रिपक्षीय गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (TPQMA) के रूप में जुडको लि०, राँची को नामित किया गया है। योजनान्तर्गत विभिन्न चरणों में स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध जुडको लि० द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर तैयार Action Taken Report पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के 38 निकायों हेतु कुल स्वीकृत 7,739 DUs, वित्तीय वर्ष 2016–17 फेज़–1 में 33 निकायों हेतु कुल स्वीकृत 19,933 DUs एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 फेज़–2 में 36 निकायों हेतु कुल स्वीकृत 12,814 DUs के द्वितीय किस्त की राशि की प्राप्ति हेतु त्रिपक्षीय गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (TPQMA) से प्राप्त पर्यवेक्षण एवं अनुशंसा के आधार पर तैयार Action Taken Report पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

5. **झारखण्ड हाउसिंग मिशन (JHM) के Mission Director के रूप में निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय को नामित करने का अनुमोदन।**

दिनांकः 10.01.2017 को सम्पन्न SLSMC की चतुर्थ बैठक में Jharkhand Urban Affordable Housing Policy- 2016 के कंडिका 6.1 के अनुसार झारखण्ड हाउसिंग मिशन (JHM) का गठन करते हुए प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड झारखण्ड को झारखण्ड हाउसिंग मिशन के Mission Director नामित करने का अनुमोदन दिया गया था।

PMAY योजना का क्रियान्वयन, Jharkhand Urban Affordable Housing Policy 2016 का कार्यान्वयन एवं विभिन्न आय वर्गों हेतु आवासों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में बेहतर समन्वयन हेतु पूर्व की कार्यवाही को संशोधित करते हुए निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA) को झारखण्ड हाउसिंग मिशन के Mission Director के रूप में नामित करने का अनुमोदन दिया गया।

तदनुसार विभागीय संकल्प निर्गत करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

18.8.2017

सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 07/न०प्र०नि०/PMAY (HFA)/01/2015...1580 रांची, दिनांकः 18.8.2017

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.8.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।